# न्यायालय जिला न्यायाधीश, मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार बेरीवाल

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध (उत्तराधिकार अधि.) प्र.सं.01/2026

CIS NO. 01/2026

1–हुक्मसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसड़ा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

2–समदरसिंह पुत्र भंवरसिंह,जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसड़ा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

3–किरण पुत्री भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसड़ा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

4–रतनकंवर पत्नी मनोहरसिंह (नाऔलाद),जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसड़ा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

...प्रार्थीगण

::**विरूद्ध**::

1–शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रियांबडी, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

2–हर खास व आम।

...अप्रार्थीगण

...

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925**

उपस्थित-

1-श्री जितेन्द्रसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं (एक पक्षीय)

**::आदेश::**

दिनांक 07-05-2026

1- प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया है।

2- प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि प्रार्थीगण की माता पुष्पाकंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसड़ा, तहसील रियांबडी जिला नागौर का तथा उनके पिता भंवरसिंह पुत्र पेमसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी भैंसडा, तहसील रियांबडी जिला नागौर का दिनांक 01-07-2025 को स्वर्गवास हो गया। पुष्पाकंवर एवं भंवरसिंह के पुत्र मनोहरसिंह का भी देहान्त हो चुका है, जिसकी पत्नी प्रार्थी संख्या-4 के रूप में पक्षकार है, उसके किसी औलाद का जन्म नहीं हुआ।

3- पुष्पा कंवर ने अप्रार्थी संख्या-1 भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबडी में अपना एक बचत खाता 61278241887 खुलवाया था और बचत खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बैंक रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 से एक पॉलिसी भी करवाई, जिसके जिसकी प्रीमियम राशि उक्त खाते से नियमित रूप से कटती रहती थी, जिसकी अंतिम प्रीमियम राशि 20/-रूपये दिनांक 14-05-2025 को कटी। इस योजना के तहत मृत्यु पर 2,00,000/-रूपये की राशि प्राप्त होती है।

4- प्रार्थीगण ने आगे उल्लेख किया कि पुष्पा कंवर की उपरोक्त पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाली राशि 2,00,000/-रूपये उसके नोमिनी को अर्थात प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह को प्राप्त होने थे, परन्तु पुष्पाकंवर के नोमिनी भंवरसिंह का भी पुष्पाकंवर के साथ दुर्घटना में देहान्त हो गया। इसलिये उक्त राशि तथा बचत खाता में जमा राशि रूपये 5,992/-रूपये प्रार्थीगण प्राप्त करने कि हकदार व अधिकारी है। प्रार्थीगण के अलावा पुष्पाकंवर एवं भंवरसिंह के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-1 भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबडी के यहां स्व. पुष्पाकंवर की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 के तहत मिलने वाली राशि रूपये 2,00,000/- मय ब्याज व खाते में जमा राशि 5,992/-रूपये प्रार्थीगण को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

5- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा आपत्तियों के संबंध में दिनांक 28-01-2026 के अजमेर संस्करण के दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया गया।

6- अप्रार्थी संख्या-1 के बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

7- अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ए.डब्लू.1 प्रार्थी हुक्मसिंह को साक्ष्य में परीक्षित करवाया और प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 20 को प्रदर्शित करवाया गया।

8- दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह ए डब्लू 1 हुक्मसिंह ने अपनी साक्ष्य में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की माता पुष्पाकंवर तथा पिता भंवरसिंह का दिनांक 01-07-2025 को देहान्त हो गया, भंवरसिंह के पुत्र मनोहरसिंह का भी देहान्त हो चुका है। पुष्पाकंवर ने

अप्रार्थी संख्या-1 भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबडी में एक बचत खाता संख्या 61278241887 खुलवाया तथा उस बचत खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बैंक रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 के तहत एक पॉलिसी करवाई, जिसकी प्रीमियम राशि भी उक्त खाते से नियमित रूप से कटती रहती थी जिसकी अंतिम प्रीमियम राशि 20/-रूपये दिनांक 14-05-2025 को कटी। इस योजना के तहत मृत्यु पर 2,00,000/-रूपये की राशि प्राप्त होती है। पुष्पाकंवर की उपरोक्त पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाली 2,00,000/रूपये उसके नोमिनी को प्राप्त होने थे, परन्तु स्व. पुष्पाकंवर के नोमिनी भंवरसिंह का देहान्त भी पुष्पाकंवर के साथ दुर्घटना में हो चुका है। इस प्रकार उक्त पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि रूपये 2,00,000/- प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण पुष्पाकंवर के उत्तराधिकारी है।

9- पत्रावली पर प्रदर्श-1 पुष्पाकंवर का भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबडी में बचत खाता संख्या 61278241887 है जिसके रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 के जरिये पुष्पाकंवर की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी की जाना और इस खाते में से 20/-रूपये प्रीमियम नियमित रूप से कटना तथा अंतिम प्रीमियम दिनांक 14-05-2025 को 20/-रूपये कटना प्रमाणित है तथा उक्त योजना के तहत की गई पॉलिसी से दुर्घटना पर 2,00,000/-रूपये क्लेम राशि बनना प्रकट होता है।

10- प्रदर्श 5 तथा प्रदर्श 4 क्रमश: पुष्पाकंवर एवं भंवरसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियें है जिनके अनुसार पुष्पाकंवर एवं भंवरसिंह की दिनांक 01-07-2025 को मृत्यु होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण ने पुष्पाकंवर के पुत्र मनोहरसिंह का भी देहान्त हो जाना बताया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श 6 से होती है इसके अनुसार मनोहरसिंह की मृत्यु दिनांक 05-09-2025 को होना

बताया गया है। प्रदर्श 12 आधार कार्ड हुक्मसिंह, प्रदर्श 15 आधार कार्ड समदरसिंह, प्रदर्श 18 आधार कार्ड रतनकंवर एवं प्रदर्श 19 आधार कार्ड किरण के अनुसार प्रार्थीगण स्व. पुष्पाकंवर के उत्तराधिकारी है। मृतका पुष्पाकंवर के प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी हो, ऐसी कोई आपत्ति अथवा साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

11– इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध प्रार्थीगण के अभिवचनों, मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पुष्पाकंवर के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबडी में बचत खाता संख्या 61278241887 खुलवाया गया जिसके रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 के जरिये पुष्पाकंवर की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी की जाना और इस खाते में से 20/–रूपये प्रीमियम नियमित रूप से कटना तथा अंतिम प्रीमियम दिनांक 14–05–2025 को 20/–रूपये कटना एवं उक्त बीमा योजना की क्लेम राशि 2,00,000/–रूपये होना प्रमाणित है। पुष्पाकंवर, उसके पति भंवरसिंह एवं पुत्र मनोहरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण स्व. पुष्पाकंवर के उत्तराधिकारी है। इस कारण पुष्पाकंवर के उक्त बचत खाता संख्या 61278241887 के द्वारा करवाई गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बैंक रेफरेंस नंबर SBISB31121251270162881122 पॉलिसी की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

12– जहां तक मृतका पुष्पाकंवर के बचत खाता की राशि का प्रश्न है, अभिलेख पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि पुष्पाकंवर की दिनांक 01–07–2025 को मृत्यु हो चुकी है, परन्तु स्व. पुष्पाकंवर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रियांबडी के खाता संख्या 61278241887 के स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउंट की प्रति प्रदर्श 2 है जिसके अनुसार पुष्पाकंवर के उक्त खाते में दिनांक 17–07–2025 को बैलेंस

4,710/-रूपये बताया गया है तथा दिनांक 25-09-2025 को उक्त राशि पर 32/-रूपये ब्याज भी जमा होना बताया गया है। इसके बाद दिनांक 13-08-2025 को रूपये 1,250/- मृतका की पेंशन के रूप में जमा होना बताये गये है जो कि पुष्पाकंवर की मृत्यु के बाद की राशि है जो राशि मृतका के उत्तराधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मृतका के उत्तराधिकारीगण मृतका के उक्त खाते में दिनांक 17-07-2025 तक जमा राशि रूपये 4710/-एवं दिनांक 25-09-2025 को जमा ब्याज रू. 32/- कुल 4,742/-रूपये ही प्राप्त करने के अधिकारी रहते है। दिनांक 13-08-2025 को मृतका के उक्त खाते में जमा राशि पुन: राजकोष में जमा होने योग्य है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार योग्य है।

13- परिणामस्वरूप प्रार्थीगण हुक्मसिंह, समदरसिंह, किरण एवं रतनकंवर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हुक्मसिंह पुत्र भंवरसिंह, समदरसिंह पुत्र भंवरसिंह, किरण पुत्री भंवरसिंह तथा रतनकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासीगण भैंसड़ा, तहसील रियांबडी जिला नागौर को पुष्पाकंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी राजपूतों का मौहल्ला भैंसड़ा कला जिला नागौर के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रियांबडी जिला नागौर के बचत खाता संख्या 61278241887 से की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी रेफरेंस संख्या SBISB31121251270162881122 की राशि 2,00,000/-रूपये एवं बचत खाता संख्या 61278241887 में दिनांक 17-07-2025 तक जमा राशि रूपये 4,710/- एवं दिनांक 25-09-2025 को जमा ब्याज 32/- कुल 4742/- (यदि जमा हो तो) जमा राशि मय ब्याज एवं परिलाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराधिकारी घोषित किये जाते है। उक्त बचत

खाता की शेष राशि जो दिनांक 13-08-2025 को जमा हुई 1,250/- एवं इस पर जमा ब्याज पुन: राजकोष में जमा रहे।

14- प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि पर नियमानुसार न्याय शुल्क पेश करने पर उसके पक्ष में उक्त आशय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(तारा अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश
मेड़ता।

15- आदेश आज दिनांक 07-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश
मेड़ता।